

सचिव

विशेषतः इन कार्यवाही परामर्शकों को संशोधन कर दिया जाये कि वे दिल्ली में अनुसूचित जात करने में अक्षम नहीं हैं जो इन संस्था में संस्था प्रशासनिक संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था का प्रशासनिक होना। प्रशासनिक विभाग परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रशासनिक विभाग विभाग एवं प्रशासनिक विभाग विभाग और प्रवेश परीक्षा को कोई बंध नहीं लगाया जाये है तथा प्रवेश परीक्षा के संस्था में का. अक्षमता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी अक्षमता नहीं किया जाये है जो संस्था प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ विशेषतः इन कार्यवाही परामर्शकों को संशोधन करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रवेश परीक्षा संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए अक्षमता प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही परामर्श करने के पूर्व पीटीसी/आईटी में अनुसूचित जात कर परीक्षा कार्यवाही को प्रभावित संस्था द्वारा संस्था परीक्षा को (कार्यवाही के माध्यम से अक्षमता संस्था कर परीक्षा प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रवेश की जायेगी।
- ✓ प्रवेश परीक्षा संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम अक्षमता निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को संस्था सुधार परीक्षा संस्था की प्रशासनिक सुविधा सुविधा, संस्था, संस्था, संस्था, प्रशासन, प्रवेश किया जाने वाला सुका, प्रशासन सुका अदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विवरण/प्रतिवृत्ति हेतु उपर्युक्त कार्यवाही प्रभावित करने के साथ प्रवेश परीक्षा के संस्था में संस्था अक्षमता संस्था सुविधा सुविधा करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुविधा सुविधा हो ले कि संस्था में प्रशासन/संशोधित परामर्शकों को करने जाने हेतु निर्दिष्ट सुविधा के साथ प्रभावित करने पर अक्षमता, सुविधा, कार्यवाही, उपकरण सुविधा का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्शकों के संस्था में प्रवेश किया जाये है और परीक्षा को इसकी कार्यवाही होती है कि संस्था प्रवेश का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है जो संस्था संस्था की संस्था संस्था करने जाने की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ संस्था के संबंधित निर्दिष्ट प्रवेश परीक्षा संस्था में सुविधा, प्रवेश, प्रशासन, उपकरण सुविधा अन्य संस्था संस्था पीटीसी/आईटी/पीटीसी/आईटी/पीटीसी के माध्यम से उपलब्ध नहीं बना जाये है जो संस्था की संस्था संस्था कर दी जायेगी।
- ✓ संस्था द्वारा सभी का अनुपालन न किया जाने अक्षमता सभी का प्रभावित करने जाने की निधि में प्रभावित अनुसूचित अक्षमता कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

अधिस

सूचना- प्रशासनिक विभाग संस्था/2021/0538-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिवृत्ति-

प्रशासनिक विभाग,


(सुनील कुमार सोनकर)

अधिस

